विद्यालय में ठेके पर कराये गये कार्यों का नगद भुगतान. प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं -________________________________

पुत्र /पुत्री श्री -______________________________

निवासी ग्राम/मो0 -____

प्रा0वि0/उच्च प्रा0वि0/कम्पोजिट वि0 -______________________________

वि0क्षे0 ______________________________ जनपद - ___________________________

दिनांक _________________. से-____________________तक

कुल -_________ श्रमिक लगाकर विद्यालय का _________________________________

का कार्य कराया है जिसका पारिश्रमिक रूपये अंकों में -_______________

शब्दों में____

विद्यालय के प्र0अ0/इ0प्र0अ0 श्री/श्रीमती -______________________________ के द्वारा

नगद भुगतान किया है |

रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आये |

हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -
सचिव /प्र0अ0	SMC अध्यक्ष	भुगतान प्राप्त कर्ता

मोबाइल न0 -_________________

RAMKUMAR AURAIYA

Scanned with OKEN Scanner

PFMS के तहत PERSONAL VENDORS के द्वारा कराये गये कार्यों के भुगतान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं -.. पुत्र /पुत्री श्री -................................... निवासी ग्राम/मो0 -................................... प्रा0वि0/उच्च प्रा0वि0/कम्पोजिट वि0 -.. वि0क्षे0 -.. जनपद - .... में दिनांक -..................... से-................. तक कुल दिन .... विद्यालय में किये गये कार्य का ब्योरा -- जिसका कुल भुगतान -..................... रूपये हमारे बैंक खाता संख्या -...................... IFSC CODE - .... बैंक का नाम -.................................. में PFMS के तहत भुगतान किया गया है ।

रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आये ।

हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -
सचिव /प्र0अ0	SMC अध्यक्ष	भुगतान प्राप्त कर्ता
		मोबाइल न0 -.................

रसीदी टिकट

RAJKUMAR AURAIYA

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय विकास योजना हेतु 11 पेज की फोटो कापी के नगद

. भुगतान. का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं - ____________________________

दुकान एवं फर्म का नाम ____

निवासी ग्राम/मो0 - ____ ने

प्रा0वि0/उच्च प्रा0वि0/कम्पोजिट वि0 -___________________________________

वि0क्षे0 -________________________ जनपद -________________________

ने विद्यालय विकास योजना हेतु 11 पेज की फोटो कापी प्रति पेज एक रूपये के हिसाब से

कुल 11 रूपये नगद प्राप्त किये |

रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आये |

हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -
सचिव /प्र0अ0	SMC अध्यक्ष	भुगतान प्राप्त कर्ता

मोबाइल न0 ______________

RAJKUMAR AURAIYA

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय में कराये गये कार्यों का नगद भुगतान प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं -..

पुत्र /पुत्री श्री -.................................... निवासी ग्राम/मो0 -...................................

प्रा0वि0/उच्च प्रा0वि0/कम्पोजिट वि0 -..

वि0क्षे0 -....................................... जनपद - ....

में -... का कार्य दिनांक -...................... से-.................तक

कुल -........... दिन प्रतिदिन (दैनिक) मजदूरी -................. के हिसाब से कार्य किया है

जिसका कुल भुगतान -..................... रूपये नगद प्राप्त किये हैं।

रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आये।

हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -
सचिव /प्र0अ0	SMC अध्यक्ष	भुगतान प्राप्त कर्ता

मोबाइल न0 -________________

RAJKUMAR AURAIYA

Scanned with OKEN Scanner

परिवार सर्वेक्षण उपभोग विवरण वर्ष -2024-25

विद्यालय का नाम ____________________ ब्लाक ____________________

जनपद - ____________________ विद्यालय का कोड ____________________

कुल धनराशि ______________ भुगतान की तिथि ______________

वर्ष -2024-25 के लिए परिवार सर्वेक्षण हेतु S.M.C. ACCOUNT में PFMS के माध्यम से परिवार सर्वेक्षण हेतु कम्पोनेट कोड - F.01.08.02 के तहत 326 रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है| जिसके उपभोग का विवरण निम्नानुसार है |

क्रमांक	क्रय की गई वस्तु का नाम	तादात	कुल योग	क्रमागत योग
1	परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर	100X3= 300	300	300
2	पेन	8X2=16	16	316
3	स्केल	10X1=10	10	326
			सम्पूर्ण योग	326

RAJKUMAR AURAIYA FOR SAMPLES

हस्ताक्षर
सचिव/प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर
अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति

Scanned with OKEN Scanner

बाल मेले के आयोजन हेतु उपभोग विवरण वर्ष -2024-25

विद्यालय का नाम ______________________ ब्लाक ________________________

जनपद - ____________________ विद्यालय का कोड _______________

कुल धनराशि ______________ भुगतान की तिथि _______________

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और विकास में परिवार और समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिभावक और समुदाय का आंगनबाड़ी केंद्र के साथ संवाद और सहयोग बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समृद्ध बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समुदाय की सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए हैं जिसमें बाल मेला जैसे कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - बुनियादी शिक्षा 2022 के अनुसार, अभिभावक और शिक्षक के बीच सतत संवाद न केवल बच्चे की शैक्षिक यात्रा को बेहतर बनाता है, बल्कि बच्चे के समग्र विकास में भी योगदान देता है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 14 नवंबर 2024 को राज्य के सभी को लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्र में बाल मेले का आयोजन किया गया ।

बाल मेले का आयोजन दिनांक 14 नवम्बर 2024 को प्रातः 10 से 1 बजे के बीच प्रत्येक को-लोकेटेड ऑगनबड़ी केंद्र में किया गया । कार्यक्रम का नेतृत्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक एवं आंगनबाड़ी का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा

वर्ष -2024-25 के लिए बाल मेला आयोजन हेतु S.M.C. ACCOUNT में PFMS के माध्यम से

- Pre Primary Sports to Pre Primary Existing (Recurring) के तहत 1500 रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है जिसके उपभोग का विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	क्रय की गई वस्तु का नाम	कुल योग	क्रमागत योग
1	गुब्बारा पैकेट	100	100
2	गेंद	90	190
3	टाफी का पैकेट	100	290
4	रंग	65	355
5	रस्सी	90	445
6	मार्कर	20	465
7	पुरस्कार वितरण	495	960
8	समोसा (जलपान हेतु)	400	400
9	नमकीन (जलपान हेतु)	75	1435
10	गिलास	65	1500
सम्पूर्ण योग			1500

RAJKUMAR AURAIYA FOR SAMPLES

हस्ताक्षर
सचिव/प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर
अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान आदेश

आउट ऑफ स्कूल 838/- प्रति छात्र उपभोग का विवरण वर्ष -2024-25

पत्रांक -सर्वशिक्षा /एस0एम0सी0 /   /   /   2024 -25   दिनांक- ....

वर्ष -2024-25'शारदा' कार्यक्रम के अन्तर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों के अभ्यास कार्य हेतु S.M.C. ACCOUNT में 838/- प्रति छात्र की दर से कुल ________ छात्रों हेतु________ रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है | PFMS पोर्टल के माध्यम से Component Code-F.01.08.01 के अन्तर्गत की जानी है ।

चयन समिति की बैठक के अनुमोदनोपरान्त पर्सनल वैंडर/फर्म ____________________________ में धनराशि ट्रान्सफर करने की निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंतरण एवं पी0पी0ए0 निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विद्यालय का नाम ________________________________ विकास क्षेत्र - ________________

जनपद - ____________________________ यूडायस कोड -________________

FOR SAMPLES

क्रमांक	कार्य /सामग्री का विवरण एवं कम्पोनेन्ट कोड -	व्यक्ति /फर्म का नाम -	बिल संख्या	दिनांक -	भुगतान की गयी धनराशि -	खाता संख्या RAJKUMAR AURAIYA 9760712529
1	Component Code-F.01.08.01					

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/सचिव

हस्ताक्षर
अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति

Scanned with OKEN Scanner

PFMS के तहत Personal Vendors के द्वारा [Dyeing Painting /Cleanliness] कराये गये कार्यों के भुगतान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं -..

पुत्र /पुत्री श्री -.................................... निवासी ग्राम/मो0 -...................................

प्रा0वि0/उच्च प्रा0वि0/कम्पोजिट वि0 -...

वि0क्षे0 -.. जनपद - ....

में -.. का कार्य दिनांक -..................... से-.................तक

विद्यालय की Dyeing Painting /Cleanliness कुल -........... दिन

प्रतिदिन

(दैनिक) मजदूरी -................. के हिसाब से कार्य किया है, जिसका कुल भुगतान

-..................... रूपये हमारे बैंक खाता संख्या -...................... IFSC CODE -

.... बैंक का नाम -.................................. में PFMS के तहत

भुगतान किया गया है |

रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आये |

हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -
सचिव /प्र0अ0	SMC अध्यक्ष	भुगतान प्राप्त कर्ता
		मोबाइल न0 -.................

रसीदी टिकट

RK

भुगतान आदेश ,सत्र -2024-25

कार्यालय विद्यालय प्रबन्ध समिति ____________________ वि0क्षे0 -__________

जनपद -____________________ विद्यालय का कोड ________________

पत्रांक -सर्वशिक्षा /एस0एम0सी0/ / / 2024 -25 दिनांक-____________

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एस0एन0ए0 माड्यूल के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद द्वारा मद ______________________ ग्रांट की धनराशि ____________ रु0 जिसकी लिमिट पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से निर्गत की गयी है | निर्गत धनराशि के सापेक्ष सम्बंधित फर्मो ZBSA SMC ACCOUNT संख्या -______________________________ के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंतरण एवं पी0पी0ए0 निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है |

क्र0 स0	कार्य /सामग्री का विवरण एवं कम्पोनेन्ट कोड -	व्यक्ति /फर्म का नाम -	बिल संख्या	दिनांक -	भुगतान की गयी धनराशि -	खाता संख्या RAJKUMAR AURAIYA
1						

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/सचिव

हस्ताक्षर
एस0एम0सी0 अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान आदेश ,सत्र -2024-25

कार्यालय विद्यालय प्रबन्ध समिति ____________________ वि0क्षे0 -__________

जनपद -____________________ विद्यालय का कोड ________________

पत्रांक -सर्वशिक्षा /एस0एम0सी0/ / / 2024 -25 दिनांक-____________

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एस0एन0ए0 माड्यूल के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद द्वारा मद शारदा संगोष्ठी हेतु 2305 एवं वार्षिकोत्सव हेतु 695 की लिमिट पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से निर्गत की गयी है | निर्गत धनराशि के सापेक्ष सम्बंधित फर्मो ZBSA SMC ACCOUNT संख्या -____________________________________ के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंतरण एवं पी0पी0ए0 निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है |

क्र0 स0	कार्य /सामग्री का विवरण एवं कम्पोनेन्ट कोड -	व्यक्ति /फर्म का नाम -	बिल संख्या	दिनांक -	भुगतान की गयी धनराशि -	खाता संख्या RAJKUMAR AURAIYA
1	F.01.08.01 Special Training (2305 शारदा संगोष्ठी)				2305	
2	F.01.09.01 Community mobilization (695 वार्षिकोत्सव)				695	

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/सचिव

हस्ताक्षर

एस0एम0सी0 अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

इकोक्लब उपभोग विवरण वर्ष -2024-25

पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल में इकोक्लब (ECO Club in School) का गठन किया जाना है |इसके तहत पेड़ लगाना ,स्वच्छता अभियान , प्राकृतिक संरक्षण , बागवानी के प्रति बच्चों को जोड़ना है ,तथा छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और अधिक से अधिक सीखने का मौका प्रदान करता है इसे अपने विद्यालय के पर्यावरणको बेहतर बनाने के लिए सक्रियता का माध्यम बनाता है |

वर्ष -2024-25 के लिए इकोक्लब गठन हेतु S.M.C. ACCOUNT में PFMS के माध्यम से

प्राथमिक विद्यालय ______________________ विकास क्षेत्र - _______________

जनपद - ______________________________ यूडायस कोड -__________

इकोक्लब गठन हेतु कम्पोनेट कोड - Eco Club Mission Life F.01.12.01 के तहत 1500 रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है| जिसके उपभोग का विवरण इस प्रकार से है |

क्रमांक	क्रय की गई वस्तु का नाम	कुल योग	क्रमागत योग
1	बैनर	300	300
2	पोस्टर	190	490
3	पेण्ट	215	705
4	झाड़ु	205	910
5	डस्टबिन	240	1150
6	बागवानी किट	350	1500
सम्पूर्ण योग			1500

RAMUMAR AURAIYA FOR SAMPLES

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर S.M.C. अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान आदेशखेल सामग्री के उपभोग हेतु वर्ष -2024-25

विद्यालय का नाम ______________________ ब्लाक ____________________

जनपद - ___________________ विद्यालय का कोड ________________

पत्रांक -सर्वशिक्षा /एस0एम0सी0/ / / 2024 -25 दिनांक-____________

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एस0एन0ए0 माड्यूल के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद द्वारा मद ___________________________ ग्रांट की धनराशि _____________ रु0 जिसकी लिमिट पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से निर्गत की गयी है | निर्गत धनराशि के सापेक्ष सम्बंधित फर्मो ZBSA SMC ACCOUNT संख्या -__________________________________ PFMS पोर्टल के माध्यम से कम्पोनेट कोड -F.01.29 .01,- Pre Primary Sports to Pre Primary Existing (Recurring) के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंतरण एवं पी0पी0ए0 निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

. भुगतान की तिथि _________ पेमेंट ऐडवाइज नं०_____________

क्र0 स0	कार्य /सामग्री का विवरण एवं कम्पोनेन्ट कोड -	व्यक्ति /फर्म का नाम -	बिल संख्या	दिनांक -	भुगतान की गयी धनराशि -	खाता संख्या RAJKUMAR AURAIYA
1						

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/सचिव

हस्ताक्षर

एस0एम0सी0 अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान आदेश

दिव्यांग बच्चों हेतु T.L.M सामग्री का भुगतान आदेश वर्ष -2024-25

विद्यालय का नाम ____________________ ब्लाक ____________________

जनपद - ____________________ विद्यालय का कोड ________________

पत्रांक -सर्वशिक्षा /एस0एम0सी0/ / / 2024 -25 दिनांक-____________

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एस0एन0ए0 माड्यूल के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद द्वारा संकुल शिक्षक भत्ता की धनराशि 1000 रु0 जिसकी लिमिट पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से निर्गत की गयी है | निर्गत धनराशि के सापेक्ष सम्बंधित फर्मो ZBSA SMC ACCOUNT

संख्या -____ PFMS पोर्टल के माध्यम से कम्पोनेट कोड

F.01.28.09 Assistive Devices Equipments and TLM

के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंतरण एवं पी0पी0ए0 निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है . भुगतान की तिथि __________ पेमेंट ऐडवाइज नं०______________

क्र0 स0	कार्य /सामग्री का विवरण एवं कम्पोनेन्ट कोड -	व्यक्ति /फर्म का नाम -	बिल संख्या	दिनांक -	भुगतान की गयी धनराशि -	खाता संख्या RAJKUMAR AURAIYA
1	F.01.28.09 Assistive Devices Equipments and TLM				1000	

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/सचिव

हस्ताक्षर

एस0एम0सी0 अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

खेल सामग्री के उपभोग का विवरण वर्ष -2024-25

विद्यालय का नाम ____________________ ब्लाक ____________________

जनपद - ____________________ विद्यालय का कोड ____________________

कुल धनराशि __________ भुगतान की तिथि __________ पेमेंट ऐडवाइज नं० ____________

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के लिए खेल सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध मे राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गु०वि०/स्पोर्टस अनुदान 2024-25 दिनांक 24 सितम्बर ,2024 द्वारा दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश के क्रम से खेल कूद सामग्री क्रय किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए गये हैं |

विद्यालयवार खेल सामग्री के क्रय एवं सुझावात्मक सूची के अनुसार विद्यालय प्रांगण मे उपलब्ध खेल मैदान के अनुसार ही उच्च-गुणवत्ता युक्त खेल सामग्री का क्रय किया जाये। भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 24 दिसम्बर 2018 के क्रम में खेलकूद समग्री के चयन मे स्थानीय स्तर पर खेले जाने वाले पारम्परिक खेलों को भी समाहित किया जाये

वर्ष -2024-25 के लिए सपोर्ट ग्रान्ट हेतु S.M.C. ACCOUNT____________________ ____________ में PFMS पोर्टल के माध्यम से कम्पोनेट कोड -F.01.29 .01,- Pre Primary Sports to Pre Primary Existing (Recurring) के तहत __________ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई | चयन समिति की बैठक के कर ,अनुमोदन के उपरान्त उपभोग की गई सामग्री का विवरण निम्नानुसार है

RAJKUMAR AURAIYA

क्रमांक	क्रय की गई खेल सामग्री का नाम	तादात	दर	कुल योग	क्रमागत योग
सम्पूर्ण योग					

हस्ताक्षर सचिव/प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान आदेश

एस०एम०सी० प्रशिक्षण के उपभोग का विवरण वित्तीय वर्ष -2024-25

पत्रांक -सर्वशिक्षा /एस0एम0सी0 / / / 2024 -25 दिनांक- ____________

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एस0एन0ए0 माड्यूल के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद द्वारा मद -एस०एम०सी० प्रशिक्षण के उपभोग की धनराशि ____________ रु0 जिसकी लिमिट पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से निर्गत की गयी है | निर्गत धनराशि के सापेक्ष सम्बंधित फर्मो ZBSA SMC ACCOUNT संख्या -____________________ PFMS पोर्टल के माध्यम से कम्पोनेट

F.01.10 Training of SMC/SMDC(elementary)UP के तहत 1100 रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है | चयन समिति की बैठक के अनुमोदनोपरान्त पर्सनल वैंडर/फर्म ______________________________ में धनराशि ट्रान्सफर करने की निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंतरण एवं पी0पी0ए0 निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है |

विद्यालय का नाम ____________________ ब्लाक ____________________

जनपद - ____________________ विद्यालय का कोड ____________________

FOR SAMPLES

क्रमांक	कार्य /सामग्री का विवरण एवं कम्पोनेन्ट कोड -	व्यक्ति /फर्म का नाम -	बिल संख्या	दिनांक -	भुगतान की गयी धनराशि -	खाता संख्या RAJKUMAR AURAIYA 9760712529
1	F.01.10 Training of SMC/SMDC(elementary)UP				1100	

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/सचिव

हस्ताक्षर
अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति)

Scanned with OKEN Scanner

कम्पोजिट ग्रान्ट एवं अन्य मदों के उपभोग का प्रमाण पत्र सत्र -2024 -25

कम्पोजिट विद्यालय का नाम ---

क्र.	मद का नाम	कम्पोनेंट कोड RAJKUMAR PS-MAHIPALPUR ,SAHAR ,AURAIYA	निर्धारित धनराशि	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	PPA निरस्त	अभ्युक्ति
1	कम्पोजिट ग्रान्ट	F.01.18 Composite School Grant (Elementary)	6050/12300 15300/34050				
2	माता उन्मुखीकरण(500 की दर से 9 माह हेतु)	F.01.22.02 Pre –Primary (Recurring)	4500				
3	रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण ग्रान्ट	F.01.26 Rani laxmibai Atma Raksha Prashikshan Up to Highest Class VIII	500				
4	हाउस होल्ड सर्वे	F.01.08.01 Special Training For OoSC-Non-Residential (Fresh)	326				
5	परख OMR सीट	.F.01.17.01.03 class VI to VIII (UP)	200				
6	दिव्यांग T.L.M.	F.01.28.09 Assistive Devices Equipments and TLM	1000				
7	SMC सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु	F.01.10 training of smc/smdc elementary	1100				
8	स्पोर्ट्स ग्रान्ट	F.01.29 .01 Sports and physical education (elementary) elementary	10000				
8	Eco Club Mission Life	F.01.12.01 Youth And Eco Club	2000 +8000				
9	PTM	F.01.09.01 Community mobilization (elementary)	250				
10	लर्निंग कार्नर	F.01.22.02 pre primary recurring	8110				
11	बाला फीचर्स	F.01.22.01	25000				
12	को -लोकेटेड आंगनबाड़ीकेंद्र हेतु (स्टेशनरी सामग्री)	F.01.22.02 Pre –Primary (Recurring)	3000+7000				
13	बाल मेला	F.01.22.02 - Pre Primary Sports to Pre Primary Existing (Recurring)	1500				
14	टी.एल.एम. प्राथमिक वि0	F.01.11.02.5 Teaching Learning Materials For Implementation of Innovative Pedagogies	सत्र 2023-24 की छात्र के अनुसार 20 रु, प्रति बच्चा				
15	शिक्षक संकुल मीटिंग ग्रान्ट	F.01.23.02.02 Contingency grant meating TA Provision for CRCs	2250				
16	शिक्षक संकुल	F.01.23.02.01 Contingency grant meating TA Provision for CRCs	3000				
17	वार्षिकोत्सव हेतु ट्रैक और फील्ड पर व्यय	F.01.09.01 Community mobilization (elementary	695				
	शारदा संगोष्ठी	F.01.08.01 Special Training For OoSC-Non-Residential (Fresh)	2305				
18	विद्यालय विकास योजना ग्रान्ट	F.01.10 Traning of smc/smdc(elementary)	11				
19	बाला फीचर्स (शिक्षक संकुल वि0 हेतु 9 माह का)	F.01.22.01 Pre –Primary Non (Recurring)	2500				
20	Child Tracking System UDISE + MIS	F.01.30.01	UDISE + सत्र 2023-24 की छात्र के अनुसार 5 रु, प्रति बच्चा				
21	राष्ट्रीय आविष्कार अभियान ग्रान्ट	F.01.20.01	चयनित छात्र --- X300 =				
22	SMC प्रशिक्षण	F.01.10 Training of SMC/SMDC(elementary)UP	1100				
23	लर्निंग बाय डूइंग ग्रान्ट	F.01.12.08 learning by doing programe	प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित दो विद्यालय 14480 तथा पूरे जनपद में 5 चयनित विद्यालयों में से टूल्स लिमिट हेतु 28770				
24	आउट ऑफ़ स्कूल टी०एल०एम० ग्रान्ट	[F.01.08.01] Special training for Oosc- Non Residential (fresh)	ऑफ़ स्कूल प्रति बच्चा स्टेश्नरी एवं टी०एल०एम० हेतु =838रु०/छात्र)				
25	लर्निंग बाय डूइंग ग्रान्ट	F.01.12.08 learning by doing programe	प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित दो विद्यालय 14480 तथा पूरे जनपद में 5 चयनित विद्यालयों में से टूल्स लिमिट हेतु 28770				
	सभी मदों का सम्पूर्ण योग		FOR SAMPLES				

हस्ताक्षर सचिव/प्रधानाध्यापक	हस्ताक्षर अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति

Scanned with OKEN Scanner

आउट ऑफ स्कूल 838/- प्रति छात्र उपभोग का विवरण वर्ष -2024-25

विभागीय निर्देश - कृपया अवगत हों कि राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-सामु०सह०/विशेष प्रशि० निर्देश / 9695/2024-25, दिनांक 28-01-2025 में दिए गये निर्देशानुक्रम में 'शारदा' कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को अभ्यास कार्य के माध्यम से उनमें कक्षानुरूप दक्षता विकसित किए जाने के उद्देश्य से विद्यालय प्रबन्ध समितियों के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों के उपयोगार्थ सहायक शिक्षण सामग्री (स्टेशनरी) क्रय किए जानेएवं वर्कशीट की छायाप्रति कराने के लिए 838/- प्रति छात्र की दर से सम्बन्धित विद्यालयों के प्रबन्ध समिति के ZBSA खातों में "संलग्न सूची के अनुसार लिमिट निर्गत कर दी गई है। उक्त धनराशि से नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के उपयोगार्थ अच्छी गुणवत्ता की सहायक शिक्षण सामग्री (स्टेशनरी) एवं वर्कशीट क्रय की जानी है ।

>उक्त धनराशि का व्यय Component Code-FE.01.08.01 के अन्तर्गत की जाएगी। किसी अन्य Component Code के अन्तर्गत व्यय करने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाध्यापक का निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

विद्यालय का नाम ______________________ विकास क्षेत्र - ______________

जनपद - ______________________ यूडायस कोड - ____________

वर्ष -2024-25'शारदा' कार्यक्रम के अन्तर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों के अभ्यास कार्य हेतु S.M.C. ACCOUNT में 838/- प्रति छात्र की दर से कुल ________ छात्रों हेतु ________ रूपये की लिमिट प्राप्त हुई है PFMS पोर्टल के माध्यम से Component Code-F.01.08.01 के अन्तर्गत की गई है ।

अभ्यास कार्य हेतु सहायक शिक्षण सामग्री की सूची निम्नवत् है—

विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित बच्चों को दी जाने वाली सहायक शिक्षण सामग्री				RAJKUMAR AURAIYA
क्र स0	सामग्री	संख्या /तादात (प्रति छात्र)	दर रु० में	प्रति बच्चा अनुमानि धनराशि (रु० में)
1	1 कॉपियाँ (120 पेज) हिन्दी - 3, अंग्रेजी-3 एवं गणित - 3	9	25	225
2	पेन्सिल (10 पेन्सिल का 1 पैकेट)	1	50	50
3	रबर	3	3	9
4	कटर	3	3	9
5	क्रेयान/ पेंसिल कलर (पैकेट)	2	40	80
6	ज्यामेट्री बॉक्स- चांदा, परकार, स्केल 12 इंच सहित (प्लास्टिक)	1	60	60
7	पेन (डॉट पेन)	5	5	25
8	आर्ट कॉपी	2	25	50
9	स्लेट एवं चाक	1	30	30
10	स्केच पेन	1	30	30
11	चार्ट पेपर	2	5	10
12	फाइल कवर (क्लिप वाली) बच्चे की प्रोफाइल हेतु	1	22	22
13	योग सहायक शिक्षण सामग्री			600
14	हिन्दी एवं गणित की कक्षानुसार वर्कशीट की छायाप्रति हेतु			238
	कुल योग (13+14)			838
नोट -आउट ऑफ स्कूल 838/- रुपया प्रति छात्र की दर से विद्यालय में कुल _____ बच्चों हेतु _____ रु0 प्राप्त हुए				838 X _____ =

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर S.M.C. अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षक संकुल बैठक हेतु TLM सामग्री क्रय हेतु उपभोग सूची सत्र -2024-25

विद्यालय का नाम - ______________________ यूडायस कोड - __________

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म/दुकानदार का नाम ______________________ पता __________

से प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार को होने वाली शिक्षक संकुल बैठक को प्रभावी तरीके से सम्पन्न कराने के लिए शासन स्तर से प्रति संकुल शिक्षक 3000 रूपये TLM सामग्री क्रय हेतु PFMS पोर्टल के माध्यम से सत्र -2024-25 में मुझे प्राप्त हुए हैं जिसका उपभोग प्रति शिक्षक संकुल द्वारा प्रत्येक महीने में वाली बैठक में किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है |

क्रम संख्या	क्रय की गयी वस्तु का नाम	दर	मूल्य	कुल योग	क्रमागत योग
1	संख्या कार्ड बोर्ड	10	20	200	200
2	रबर	30	05	150	350
3	मोम कलर	05	30	150	500
4	स्केच कलर	10 पैकेट	20	200	700
5	चार्ट पेपर	50	10	500	1200
6	फेविकोल	05	20	100	1300
7	वाटर कलर	10	15	150	1450
8	पेंसिल	50	05	250	1700
9	थर्माकोल सीट	05	40	200	1900
10	गिनती व पहाड़ा कार्ड बोर्ड	05	40	200	2100
11	स्टेनसिल	05	20	100	2200
12	स्कर्पल टेप	10	10	100	2300
13	पेंसिल कलर	05 पैकेट	30	150	2450
14	स्कर्पल पेज	20	20	400	2850
15	कटर	30	05	150	3000
RAJKUMAR AURAIYA	योग			15	3000

दिनांक - __________

हस्ताक्षर शिक्षक संकुल

Scanned with OKEN Scanner

इकोक्लब उपभोग विवरण वर्ष -2024-25

पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूल में इकोक्लब (ECO Club in School) का गठन किया जाना है | इसके तहत पेड़ लगाना ,स्वच्छता अभियान , प्राकृतिक संरक्षण , बागवानी के प्रति बच्चों को जोड़ना है , महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्रांकः गुण०वि०/ समग्र शिक्षा-ईको क्लब / 9626/2024-25 दिनांक 22.01.2025 के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गुण0वि0/ईको क्लब/3526/2024-25 दिनांक 22 जुलाई, 2024 एवं पत्रांक-3630/2024-25 दिनांक 25 जुलाई, 2024 के द्वारा उक्त पत्रों के द्वारा परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक / के०जी०बी० विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFe" के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मासिक कैलेण्डर निर्गत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-5577/ 2024-25 दिनांक 17 सितम्बर, 2024 द्वारा "Eco Clubs for Mission LiFe" के अन्तर्गत गतिविधियों के माह अक्टूबर, 2024 तक क्रियान्वयन हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिये रू० 1500/- प्रति विद्यालय तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये रू० 2000/- प्रति विद्यालय की दर से धनराशि संबंधी लिमिट जारी की गयी है। अग्रेतर के क्रम में शासनादेश संख्या-37/2024/1/807610/2024-68-5099/329/2024 दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के द्वारा समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के सर्वांगीण विकास हेतु ईको क्लब सहित विभिन्न प्रकार के क्लब का गठन किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्रेषित किये गये हैं।

पी0एम0श्री योजनान्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2024-25 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में चयनित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में "Eco Clubs for Mission LiFe" के सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक- गुण०वि०/ ईको क्लब / 3526/2024-25 दिनांक 22 जुलाई, 2024 द्वारा प्रेषित निर्देशों के क्रम में माह जनवरी एवं फरवरी, 2025 निम्नांकित विवरणानुसार व्यय किये जाने के लिये धनराशि की लिमिट जारी की गयी है :-

RAJKUMAR AURAIYA

वर्ष -2024-25 के लिए इकोक्लब गठन हेतु S.M.C. ACCOUNT में PFMS के माध्यम से

प्राथमिक विद्यालय ______________________ विकास क्षेत्र - ______________

जनपद - ______________________ यूडायस कोड -__________

इकोक्लब गठन हेतु कम्पोनेंट कोड - Eco Club Mission Life F.01.12.01 के तहत 2000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। जिसके उपभोग का विवरण इस प्रकार से है |

क्रमांक	क्रय की गई वस्तु का नाम	कुल योग	क्रमागत योग
1	बैनर (2.5 X 4 फीट	(2.5 X 4 फीट	300
2	पेन	20x5=100	100
3	पेन्सिल	4x50 =200	200
4	कलर	20x5=100	100
5	गोंद	50x4=200	200
6	चार्ट पेपर	40x10=400	400
7	स्केच पेन	25x6=150	150
8	ड्राइंग सीट	100x3= 300	300
9	प्रसंशा प्रमाण पत्र	25x10	250
RAJKUMAR AURAIYA		सम्पूर्ण योग	2000

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान आदेश

टी.एल.एम.ग्रान्ट के उपभोग हेतु वित्तीय वर्ष -2024-25

पत्रांक -सर्वशिक्षा /एस0एम0सी0 / / / 2024 -25 दिनांक- ____________

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एस0एन0ए0 माड्यूल के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद द्वारा मद - टी.एल.एम.ग्रान्ट की धनराशि ______________ रु0 जिसकी लिमिट पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से निर्गत की गयी है | निर्गत धनराशि के सापेक्ष सम्बंधित फर्मो ZBSA SMC ACCOUNT संख्या -______________________ PFMS पोर्टल के माध्यम से कम्पोनेट

F.01.11.02.5 (Teaching Learning Materials For Implementation of Innovative Pedagogies) के तहत , सत्र - 2023-24 की छात्र सख्या के अनुसार 20 रु, प्रति छात्र/छात्रा के हिसाब से ________ रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है चयन समिति की बैठक के अनुमोदनोपरान्त पर्सनल वैंडर/फर्म ______________________ में धनराशि ट्रान्सफर करने की निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंतरण एवं पी0पी0ए0 निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विद्यालय का नाम ______________________ ब्लाक ____________________

जनपद - ____________________ विद्यालय का कोड ________________

FOR SAMPLES

क्रमांक	कार्य /सामग्री का विवरण एवं कम्पोनेन्ट कोड -	व्यक्ति /फर्म का नाम -	बिल संख्या	दिनांक -	भुगतान की गयी धनराशि -	खाता संख्या RAJKUMAR AURAIYA 9760712529
1						

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/सचिव

हस्ताक्षर

अध्यक्ष (विद्यालय प्रबन्ध समिति)

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान आदेश संकुल शिक्षक भत्ता उपभोग का विवरण वर्ष -2024-25

विद्यालय का नाम ______________________ ब्लाक ______________________

जनपद - ______________________ विद्यालय का कोड ______________________

पत्रांक -सर्वशिक्षा /एस0एम0सी0/ / / 2024 -25 दिनांक-____________

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एस0एन0ए0 माड्यूल के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद द्वारा संकुल शिक्षक भत्ता की धनराशि 2250 रु0 जिसकी लिमिट पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से निर्गत की गयी है | निर्गत धनराशि के सापेक्ष सम्बंधित फर्मो ZBSA SMC ACCOUNT संख्या -______________________ PFMS पोर्टल के माध्यम से कम्पोनेट कोड F.01.23.02.02 Contingency grant meating TA Provision for CRCs के माध्यम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंतरण एवं पी0पी0ए0 निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है

भुगतान की तिथि __________ पेमेंट ऐडवाइज नं०______________

क्र0 स0	कार्य /सामग्री का विवरण एवं कम्पोनेन्ट कोड -	व्यक्ति /फर्म का नाम -	बिल संख्या	दिनांक -	भुगतान की गयी धनराशि -	खाता संख्या RAJKUMAR AURAIYA
1	F.01.23.02.02 Contingency grant meating TA Provision for CRCs				2250	

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/सचिव

हस्ताक्षर
एस0एम0सी0 अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

भुगतान आदेश

Child Tracking System, Uise Plus, MIS वर्ष -2024-25

पत्रांक -सर्वशिक्षा /एस0एम0सी0 / / / 2024 -25 दिनांक- ____________

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एस0एन0ए0 माड्यूल के अंतर्गत जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद द्वारा मद - टी.एल.एम.ग्रान्ट की धनराशि ____________ रु0 जिसकी लिमिट पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से निर्गत की गयी है | निर्गत धनराशि के सापेक्ष सम्बंधित फर्मो ZBSA SMC ACCOUNT संख्या -____________________ PFMS पोर्टल के माध्यम से कम्पोनेट

F.01.30 .01 के तहत , सत्र - 2023-24 की छात्र सख्या के अनुसार 5 रु, प्रति छात्र/छात्रा के हिसाब से ________ रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है चयन समिति की बैठक के अनुमोदनोपरान्त पर्सनल वैंडर/फर्म ____________________ में धनराशि ट्रान्सफर करने की निम्नलिखित विवरण के अनुसार अंतरण एवं पी0पी0ए0 निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है |

विद्यालय का नाम ____________________ ब्लाक ____________________

जनपद - ____________________ विद्यालय का कोड ____________________

FOR SAMPLES

क्रमांक	कार्य /सामग्री का विवरण एवं कम्पोनेन्ट कोड -	व्यक्ति /फर्म का नाम -	बिल संख्या	दिनांक -	भुगतान की गयी धनराशि -	खाता संख्या RAJKUMAR AURAIYA 9760712529
1	Child Tracking System UDISE + MIS F.01.30 .01					

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/सचिव

हस्ताक्षर
अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति

Scanned with OKEN Scanner

टी.एल.एम.ग्रान्ट के उपभोग विवरण हेतु वित्तीय वर्ष -2024-25

विद्यालय का नाम ____________________ ब्लाक ____________________

जनपद - ____________________ विद्यालय का कोड ____________________

कुल धनराशि __________ भुगतान की तिथि __________ पेमेंट ऐडवाइज नंबर __________

वर्ष 2024-25 के लिए T.L.M. ग्रान्ट जो S.M.C. ACCOUNT ____________________

मेंP.F.M.S. पोर्टल के माध्यम से कंपोनेंट कोड -F.01.11.02.5 (Teaching Learning Materials For Implementation of Innovative Pedagogies) के तहत , सत्र - 2023-24 की छात्र सख्या के अनुसार 20 रु, प्रति छात्र/छात्रा के हिसाब से ________ रूपये की धनराशि प्राप्त हुई| चयन समिति की बैठक के अनुमोदनोपरांत पर्सनल वैंडर/फर्म ____________________

में धनराशि ट्रान्सफर करने के उपरांत उपभोग का विवरण निम्नानुसार है | FOR SAMPLES

क्रमांक	क्रय की गई सामग्री का विवरण	तादात	दर	कुल योग	क्रमागत योग
1	पोस्टर				
2	स्केल				
3	फेविकोल				
4	वर्णमाला चार्ट (हिंदी)				
5	वर्णमाला चार्ट (अंग्रेजी)				
6	गिनती के चार्ट				
7	बारह खड़ी चार्ट				
8	मार्कर				
9	कलर मार्कर				
10	A 4 साइज पेपर				
11	पेन्सिल बाक्स				
12	कटर				
13	रबर				
14	स्केज				
15	प्रकार				
16	थर्माकोल				
17	टेप सादा				
18	टेप रंगीन				
19	कैंची				
20	आलपिन डिब्बी				
कुल योग (अंकों में) -		कुल योग (शब्दों में) -			

RAJKUMAR AURAIYA

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/सचिव

हस्ताक्षर
अध्यक्ष (विद्यालय प्रबन्ध समिति)

Scanned with OKEN Scanner

संकुल शिक्षक भत्ता उपभोग का विवरण 2024-25

प्रमाणित किया जाता है कि मैं -____________________ प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय कम्पोजिट विद्यालय ________________________

विकासखंड ____________________ जनपद ____________________

विद्यालय का यू डायस कोड ______________ में प्रधानाध्यापक /प्रभारी प्र0 के पद पर कार्यरत हूं ,एवं मैं न्याय पंचायत ____________________ के संकुल शिक्षक पद के दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा हूं/रही हूँ । संकुल शिक्षक की मासिक बैठकों के लिए शासनादेश में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 250 रुपए प्रतिमाह की दर से 9 माह के लिए संकुल शिक्षक भत्ता शासन द्वारा कुल 2250 रुपए नियत किया गया है |

और श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ____________________ द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में उपलब्ध कराया गया है। जिसका उपभोग वर्ष 2024-25 संकुल शिक्षक की मासिक बैठकों के लिए शासनादेश में निहित प्राविधानों के अंतर्गत किया गया है।

दिनांकः______________

हस्ताक्षर संकुल शिक्षक

मोबाइल न0 ______________

RAJKUIMAR AURAIYA

RAJKUMAR AURAIYA

Scanned with OKEN Scanner

PTM ग्रांट - उपभोग विवरण वर्ष 2024 – 2025

कुल प्राप्त धनराशि - 250

आदेश

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या- सामुन्सहरु / पी०टी०एम० / 5526 / 2024-25 दिनांक 12-09-2024 के द्वारा स्कूल चलो अभियान (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत समस्त परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक - अध्यापक बैठक (पीटी०एम०) आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गये हैं, प्रबन्ध समिति के खाते में बैठक के आयोजन के लिए धनराशि 250/- की दर से लिमिट जनपद स्तर से निर्गत कर दी गई है।

- कम्पोनेंट कोड F.01.09.01 Community mobilization (elementary) है |

विद्यालय का नाम ________________________________

दिनांक- /10/2024 दिन - __________ को विद्यालय परिसर में अभिभावक - अध्यापक (पीटी०एम०) की बैठक आहूत की गयी बैठक में | SMC खाते में 250 रूपये की जो धनराशि प्राप्त हुई है आज की बैठक में उसके उपभोग का व्यय विवरण निम्नलिखित है |

FOR SAMPLES

क्रम सं०	वस्तु का नाम	संख्या	दर	योग	क्रमागत योग
1	समोसा	20	7	140	140
2	गिलास	पैकेट	25	25	165
3	कोल्डड्रिंक	1	85	85	250
	कुल योग -	250 रु RAJKUMAR AURAIYA			

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर S.M.C .अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

!! शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन !!

NIPUN BHARAT

आओ पढ़ाएं सबको बढ़ाएं

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

विद्यालय प्रबन्ध समिति

{ S.M.C. }

गठन/पुनर्गठन कार्यवाही पंजिका

शैक्षिक सत्र - 2024-2025

U-DISE Code ....

विद्यालय का नाम ....

ग्राम पंचायत .... न्याय पंचायत ....

विकास खण्ड .... जनपद ....

प्राप्ति स्थान

अध्यापक परीक्षा परिषद

निकटः- चित्रशाला टाकीज, सफदर मार्केट, बहराइच-271801

Mob.: 9454023786, 9721220786

Email.: adhyapakparikshaparishad0786@gmail.com

अध्यापक परीक्षा परिषद A.P.P. बहराइच-271801

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन निशातगंज, लखनऊ –226007

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष 0522-4024440, 2780384, 781128

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

निपुण भारत

महत्वपूर्ण

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः सामु0सह0 / एस0एम0सी0 गठन / 7806 / 2024–25 लखनऊ, दिनांकः 21 नवम्बर, 2024

विषय : प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC)के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया संलग्न शासनादेश सं0–34 / 2024 / 1 / 795922 / 2024–68–5099 / 462 / 2024 दिनांकः 14 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति (एस0एम0सी0) का गठन 30 नवम्बर, 2024 तक सुनिश्चित किया जाना है, जिससे नव गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांकः 01 दिसम्बर, 2024 से प्रभावी व क्रियाशील हो सके।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश के आलोक में प्रदेश के समस्त विद्यालयों (गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन 30 नवम्बर 2024 तक कराना सुनिश्चित करें। साथ ही विद्यालय प्रबन्ध समिति के पुर्नगठन के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर प्रेरणा पोर्टल के एस0एम0सी0 मॉड्यूल पर एस0एम0सी0 के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का नाम व फोन नम्बर अंकित कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– उक्तवत्।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांकः सामु0सह0 / एस0एम0सी0 गठन / / 2024–25 लखनऊ, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
5. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
9. शिक्षा एवं एस0बी0सी0 विशेषज्ञ, यूनीसेफ, गोमती नगर, लखनऊ।
10. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
11. जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता, जिला परियोजना कार्यालय, समस्त जनपद, उ0प्र0।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उ0प्र0।

(कंचन वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

संख्या- 34 /2024 /I/795922/2024-68-5099/462/2024

प्रेषक,

डा० एम० के० शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग- 5, लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर, 2024

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों मे प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने का प्राविधान है, जिसका कार्यकाल गठन के दिन से प्रारम्भ होकर दो वर्षों के लिए होता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 2566 / 68-5-2022-29 / 2009 टी.सी., दिनांक: 15 नवम्बर, 2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश के द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनांक : 30 नवम्बर, 2024 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालय में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों के पुर्नगठन का कार्य दिनांक: 01 नवम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक की अवधि में कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांक: 01 दिसम्बर, 2024 से क्रियाशील हो सके। उक्त के दृष्टिगत नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों का गठन किये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन-

i. विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। इस हेतु समिति का कार्यकाल 23 माह पूर्ण होने के साथ ही नयी विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाए एवं 24वाँ माह समाप्त होने के पूर्व ही नवीन समिति का गठन कर लिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- आम चुनाव, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में यदि 24 वें माह में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में स्थितियाँ सामान्य होते ही यथाशीघ्र विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन करा लिया जाए एवं नवीन समिति के गठन तक पूर्व की समिति कार्य करती रहेगी।

ii. एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालय में एक ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।

iii. प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।

iv. विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होंगे जिनमें से 11 सदस्य अध्ययनरत् बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक होंगे परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी।

v. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 04 सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(क) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य, जिसका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा;

(ख) एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाईफ (ए0एन0एम0) में से लिया जायेगा, जिसका विनिश्चय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल;

(घ) एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की तैनाती न होने की दशा में प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा, जो समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

vi. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अभिभावक सदस्यों में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के माता-पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।

vii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अभिभावक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा, परन्तु सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा से बच्चों के एक माता-पिता / अभिभावक का चयन किया जायेगा तत्पश्चात् शेष सदस्यों का चयन होगा| आम सहमति न बनने की स्थिति में उन सदस्यों का चयन किया जायेगा, जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठा कर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान कराया जाएगा।

viii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के 11 अभिभावक सदस्यों के चयन में प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।

ix. समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबन्धन हेतु माता-पिता / अभिभावक सदस्यों में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना अनिवार्य है।

x. आम सभा की बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का हस्ताक्षर / अंगूठा निशान रिकार्ड के रूप में रखा जायेगा।

xi. शिक्षा मित्रों, रसोइयों को व शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों (विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त) को समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

xii. विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित होने के उपरान्त सदस्यों का पूर्ण विवरण, बच्चे का नाम, अभिभावक (माता /पिता /संरक्षक) का नाम, मोबाइल नं० रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा सदस्यों का विवरण एक सप्ताह के अन्दर विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग कराते हुए प्रदर्शित किया जाए। ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर समस्त एस०एम०सी० सदस्यों का डाटा बेस तैयार किया जाए।

xiii. विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता / संरक्षकों के उपस्थित होने की स्थिति में ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का चयन किया जाये तथा कोरम (Quorum) को पूरा कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा।

(2) <u>विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन हेतु प्रक्रिया-</u>

i. जिलाधिकारी जनपद के समस्त विकासखण्डों में स्थित विद्यालयों हेतु खुली बैठक की तिथियों का निर्धारण कर प्रत्येक विकासखण्ड के लिए पृथक-पृथक नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे, जो आवंटित विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन के लिए उत्तरदायी होंगे एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे।

ii. जनपद स्तर पर खुली बैठक की तिथि का चार्ट विद्यालयवार तैयार किया जायेगा तथा सम्बन्धित विकास खण्ड हेतु नामित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा |

iii. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इस आशय की मुनादी कराया जाना सुनिश्चित किया जाये कि उनके विकासखण्ड में एस०एम०सी० का चुनाव अमुक तिथि को होगा।

iv. विकास खण्ड के नोडल अधिकारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने विकास खण्ड में स्थित विद्यालयों में खुली बैठक हेतु ब्लाक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी तथा विद्यालयों को बैठक की तिथि एवं आवंटित अधिकारी का नाम ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।

v. विकास खण्ड स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार अलग-अलग तिथियों में न्याय पंचायतवार निर्वाचन भी कराया जा सकता है।

vi. विद्यालय हेतु नामित अधिकारी खुली बैठक में समिति का चयन होने तक स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करायेंगे। समिति की घोषणा के उपरान्त अपनी आख्या विकास खण्ड के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे ।

vii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन से पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना, एस०एम०सी० के कर्तव्य एवं दायित्वों की जानकारी आदि अधिक प्रचार-प्रसार वाले मुख्य समाचार-पत्रों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति के रुप में प्रकाशित करायी जाय। इसके अतिरिक्त गांव / मजरे में मुनादी कराकर एवं पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से समुदाय में पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जाये ।

viii. खुली बैठक ग्राम प्रधान अथवा प्रधान द्वारा नामित ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेम्बर, नगर /जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित नगर / जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में करायी जाये तथा इस हेतु बैठक की तिथि प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति / वार्ड शिक्षा समिति को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाये ।

ix. प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत् प्रत्येक छात्र-छात्रा के माता- पिता अथवा अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एस०एम०सी० की खुली बैठक की तिथि के बारे में सूचित करें।

X. एस०एम०सी० के गठन में राज्य, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्रचार-प्रसार समुदाय को प्रेरित करने में किया जा सकता है।

xi. निर्धारित दिवस में विद्यालय प्रबन्ध समितियों के गठन की पूर्ण कार्यवाही विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक सम्बन्धी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाये ।

(3) <u>सदस्यता की समाप्ति-</u>

विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों / पदाधिकारियों की सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त हो जाएगी-

1. एस०एम०सी० पदाधिकारी /सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में,

ii. एस०एम०सी० पदाधिकारी / सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा पाये जाने की स्थिति में,

iii. किसी काम-काज, नौकरी पेशा एवं किसी अन्य कारण से अन्य जनपद / राज्य में पलायन करने की दशा में आदि।

(4) <u>विद्यालय प्रबन्ध समिति के रिक्त पदों (11 अभिभावक सदस्यों के कोटा) को पूर्ण करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की गयी है</u>:-

i. विद्यालय प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी / सदस्य के पद रिक्त होने की दशा में बच्चों के माता-पिता / अभिभावकों की खुली बैठक बुलाकर आम सहमति से सदस्य का चुनाव किया जाये, तदनुसार खाता संचालन में यथावश्यकता संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि बैठक में 50 प्रतिशत अभिभावकों का कोरम पूरा होना अनिवार्य है ।

ii. पदाधिकारी / सदस्यों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया को एस०एम०सी० बैठक रजिस्टर में अवश्य दर्ज किया जाये|

iii. बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों से एस०एम०सी० बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर कराये जाये ।

iv. नयी विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से किया जाये ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

v. सदस्यों अथवा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के नाम में बदलाव की सूचना एस०एम०सी० के सचिव द्वारा लिखित रूप से बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के साथ खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये ।

(5) <u>विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य एवं दायित्व-</u>

i. विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी, जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य-समूहों का गठन कर सकती है।

ii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा बच्चों के अधिकार एवं माता-पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्त्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराया जाए।

iii. निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता एवं गणना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता (Community & Parental Engagement) सुनिश्चित की जाए ।

iv. विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समयनिष्ठा बनाये रखें, संरक्षकों एवं माता-पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बच्चों की निरन्तर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गयी प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अभिभावकों को अवगत करायेंगे और यह भी कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त न पाया जाए।

V. विद्यालय में आस-पास के सभी बच्चों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चत की जाए ।

vi. विद्यालय के आधारभूत संरचना एवं मानकों का रखरखाव व अनुश्रवण किया जाए।

vii. बच्चों के अधिकारों के किसी भी हनन से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार और निःशुल्क हकदारियों के समयान्तर्गत उपलब्ध न होने आदि को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए।

viii. यदि किसी बालक की आयु छः वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वहाँ उसके आयु-संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिह्नांकन एवं नामांकन योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वियन का अनुश्रवण करना।

ix. दिव्यांग बच्चों का चिह्नांकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सहभागिता और सुविधाओं को सुनिश्चित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का अनुश्रवण करना ।

x. विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

xi. विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना ।

xii. विद्यालय प्रबन्ध समिति को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसको पृथक लेखा में रखा जायेगा एवं उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा ।

xiii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त लेखों पर हस्ताक्षर किये जायेगें और उनके तैयार होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(6) <u>विद्यालय विकास योजना-</u>

i. विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यह विकास योजना तीन वर्षीय होगी। इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग उपयोजना भी बनायी जायेगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना का निर्माण भी होगा। इस विकास योजना में प्रत्येक वर्ष के लिये कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन (इस्टीमेट) किया जायेगा और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उसी के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु कक्षा 6 से 8 एवं कम्पोजिट विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 8 तक आर०टी०ई० मानकों के आधार पर अतिरिक्त अध्यापक/ प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता का आकलन भी किया जायेगा। इसके साथ अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपस्कर आदि की भौतिक आवश्यकताओं का भी प्राक्कलन कर तीन वर्षीय योजना में समावेश किया जायेगा।

ii. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकतायें यथा आयु-संगत कक्षा में प्रविष्ट बच्चों को विशेष प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वित्तीय आवश्यकताओं के आकलन का इस योजना में समावेश किया जायेगा ।

iii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा यह विकास योजना हस्ताक्षरित की जायेगी और खण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित प्राधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएगी।

(7) <u>विद्यालय प्रबन्ध समिति हेतु वित्तीय व्यवस्था-</u>

i. विद्यालय प्रबन्ध समिति का बैंक खाता Zero Balance Subsidiary Account (ZBSA) के अन्तर्गत खोला जायेगा तथा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव (प्रधानाध्यापक) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना खाते को किसी अन्य बैंक के बचत खाते में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा अथवा नया खाता खोलने की कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

ii. विद्यालय के खाते का विधिवत् रख-रखाव तथा अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराया जाना होगा।

iii. बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा आवश्यकता निर्माण कार्यों की जांच एक टीम, जिसमें दो विभागों के अभियन्ता तथा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के द्वारा जांच कराने की कार्यवाही की जायेगी । गम्भीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी जांच कराने का विकल्प होगा ।

iv. समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु धनराशि की सीमा (लिमिट) विद्यालय प्रबन्ध समिति के ZBSA के खाते में जारी की जाएगी, जिसका व्यय SNA की नई व्यवस्था के अन्तर्गत PFMS पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा । विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से निम्नांकित कार्य सम्पादित/ क्रियान्वित किए जाएंगे:-

(क) विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे- विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, चहारदीवारी, शौचालय, ओवरहेड टैंक, मरम्मत एवं रखरखाव आदि ।

(ख) कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट एवं शिक्षक अनुदान|

(ग) विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी हेतु डी०बी०टी० के माध्यम से माता /पिता / अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में प्रेषित धनराशि का उपयोग यूनीफार्म आदि क्रय करने में ही हो, इस कार्य हेतु सहयोग प्रदान करना ।

(घ) उक्त प्रकृति के कोई अन्य कार्य जो राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत हों एवं जारी निर्देशों से आच्छादित हों ।

(ङ) विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से विद्यालय के प्रधानाध्यापक / अध्यापकों को मुक्त रखा जायेगा|

(8) <u>विद्यालय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् की जाएगी-</u>

i. विद्यालय सम्बन्धी समस्त निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से 04 सदस्यों की उपसमिति गठित की जाएगी, जो निम्नवत् है:--

(क) विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) विद्यालय प्रबन्ध समिति के 02 अभिभावक सदस्य,

(ग) विद्यालय प्रबन्ध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक, जो विद्यालय प्रबन्ध समति का सदस्य हो, (शिक्षकों से भिन्न) ।

ii. किसी भी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

iii. उक्त समिति के 02 अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में बहुमत के आधार पर किया जायेगा। उप समिति के चयनित समस्त सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नं० आदि प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाएगा।

iv. विद्यालय निर्माण हेतु गठित उक्त उप समिति के न्यूनतम 03 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जायेगा। क्रय की गयी सामग्री का विवरण प्रधानाध्यापक द्वारा साइट पंजिका में अंकित किया जायेगा ।

v. निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत डिज़ाइन एवं मैन्युअल तथा स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जायेगा।

vi. निर्माण सामग्री की गुणवत्ता 03 सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जिसमें से एक सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा।

vii. प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में विद्यालय प्रबन्ध समिति तथा निर्माण हेतु गठित उप समिति के अभिभावक सदस्यों को अद्यतन किया जायेगा और तदनुसार खाता संचालन में यथावश्यकता, संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

viii. समस्त निर्माण कार्यो को सम्पत्ति रजिस्टर (Asset Register) में तथा क्रय की गयी वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा ।

ix. समस्त निर्माण कार्यों के आय-व्यय का रख-रखाव प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा एवं समस्त कार्यों की अलग-अलग पत्रावलियाँ बनायी जायेगी। साइट पंजिका, सम्पत्ति रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर आदि समस्त अभिलेखों को प्रधानाध्यापक द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा ।

X. बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

xi. विद्यालय निर्माण कार्यों एवं अन्य समस्त कार्यों के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के उपरान्त क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य - सचिव (प्रधानाध्यापक) अधिकृत होंगे।

(9) उल्लेखनीय है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनांक: 30 नवम्बर, 2024 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालयों में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों के गठन का कार्य दिनांक : 01 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2024 तक किया जाना है, जिससे नव गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांक : 01 दिसम्बर, 2024 से क्रियाशील हो सके।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णयों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से हो सके।

भवदीय,
डा० एम० के० शन्मुगा सुन्दरम्
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनाँक तदैव ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ०प्र० ।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ ।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र० ।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
7. शिक्षा विशेषज्ञ एवं एस०बी०सी० अधिकारी, यूनीसेफ, उत्तर प्रदेश ।
8. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज ।
9. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ०प्र० ।
10. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ०प्र० ।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र० ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विद्यालय प्रबन्ध समिति (S.M.C.) पुनर्गठन/गठन हेतु मुनादी एजेण्डा

माह .... वर्ष– 202

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक .... को विद्यालय प्रबन्ध समिति, प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... विकास क्षेत्र .... जनपद .... में विद्यालय प्रबन्ध समिति के पुनर्गठन / गठन के सम्बन्ध में एक अति आवश्यक बैठक का आयोजन किया जायेगा। जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता–पिता / अभिभावक व ए.एन.एम. तथा क्षेत्रीय लेखपाल की उपस्थिति ससमय अनिवार्य है।

अतः आप सब को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... विकास क्षेत्र .... जनपद .... के प्रांगण में बैठक दिनांक .... को .... बजे ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

उपरोक्त बैठक, नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के पुनर्गठन / गठन के सम्बन्ध में आहुत की जायेगी। यह सूचना स्कूल के बच्चों एवं रसोइयों के द्वारा प्रसारित किया गया व सूचना पटट् पर चस्पा किया गया।

दिनांक ....

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक
मुहर

विद्यालय प्रबन्ध समिति (S.M.C.) पुनर्गठन / गठन के सम्बन्ध में खुली बैठक

पूर्व में घोषित एजेण्डा के अनुसार आज दिनांक .... को प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / संविलियन विद्यालय .... विकास क्षेत्र .... जनपद .... के प्रांगण में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत की गई ।

सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक / सचिव, विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा शासनादेश संख्या कार्यालय, राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक / आर.टी.ई.– एस.एम.सी. को विस्तार पूर्वक यह बताया गया कि विद्यालय को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन / गठन शासन के निर्देशानुसार होना है। जिसमें 15 सदस्य होंगे, जिनमें से 11 सदस्य छात्र / छात्राओं के माता–पिता अथवा संरक्षक होंगे। जिसमें से बहुमत के आधार पर एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होना है। नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के छात्र / छात्राओं के माता–पिता अथवा संरक्षक होंगे। परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। साथ ही चार पदेन सदस्य होंगे।

स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित सदस्य	– सदस्य
सहायक नर्स / ए.एन.एम.	– सदस्य
लेखपाल	– सदस्य
प्रधानाध्यापक	– सदस्य–सचिव

उपरोक्तानुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन / गठन करना है।

सभा में उपस्थित अभिभावकों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी लगाये गये हैं, जो निम्नवत हैं।

नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के पुनर्गठन/गठन हेतु आयोजित खुली बैठक में सम्मिलित अभिभावक के हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा

नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के पुनर्गठन/गठन हेतु कार्यवाही

विद्यालय प्रबन्ध समिति (S.M.C.) का पुनर्गठन/गठन

पुनर्गठन / गठन का दिनांक ....

विद्यालय का नाम..

न्याय पंचायत .... विकास खण्ड .... जनपद ....

क्रम सं0	बच्चों के माता पिता अथवा संरक्षक सदस्य		पुरुष/ महिला	संरक्षक सदस्यों के बच्चे का नाम	बच्चे की कक्षा	जाति/ वर्ग	समिति में पद	पत्र व्यवहार का पता/ मोबाइल नम्बर
	सदस्य का नाम	पिता / पति का नाम						
1.							अध्यक्ष	
2.							उपाध्यक्ष	
3.							सदस्य	
4.							सदस्य	
5.							सदस्य	
6.							सदस्य	
7.							सदस्य	
8.							सदस्य	
9.							सदस्य	
10.							सदस्य	
11.							सदस्य	

पदेन सदस्य–

क्रम सं0	नाम	मूल पद	पुरुष/ महिला	समिति में पद	पत्र व्यवहार का पता / मोबाइल नम्बर
12.		स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित सदस्य		सदस्य	
13.		सहायक नर्स/ए.एन.एम.		सदस्य	
14.		लेखपाल		सदस्य	
15.		प्रधानाध्यापक		सदस्य–सचिव	

प्रधानाध्यापक / सचिव   अध्यक्ष   खण्ड शिक्षा अधिकारी

1. पुरुष सदस्यों की संख्या ....
2. महिला सदस्यों की संख्या ....
3. अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या ....
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की संख्या ....
5. कमजोर वर्ग के बच्चों के माता–पिता/संरक्षक सदस्यों की संख्या ....

प्रत्येक 2 वर्ष में समिति का पुर्नगठन किया जायेगा।

1. समिति में कुल 15 सदस्य होंगे जिसमें 11 सदस्य बच्चों के माता–पिता/संरक्षक होंगे। इन्ही में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित होंगे। प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम एक बच्चे के माता–पिता/ संरक्षक सम्मिलित होगा। इनमें एक एक सदस्य अनुसूचित जाति अनु0 जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोरवर्ग के बालक के माता–पिता/ संरक्षक सम्मिलित होंगे।
2. चार पदेन सदस्य होंगे। (a) स्थानिय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्य। (b) सहायक नर्स/ए0एन0एम0। (c) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल (d) प्रधानाध्यापक पदेन सदस्य सचिव।
3. समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।

विद्यालय प्रबन्ध समिति (S.M.C.) के सदस्यों का विवरण फोटो सहित

विद्यालय का नाम .... विकास खण्ड .... जनपद ....

क्रम संख्या	S.M.C सदस्य का नाम	पिता / पति का नाम	समिति में पद	जाति / वर्ग	मोबाइल नम्बर	आधार नम्बर	फोटो
1			अध्यक्ष				
2			उपाध्यक्ष				
3			सदस्य				
4			सदस्य				
5			सदस्य				

क्रम संख्या	S.M.C सदस्य का नाम	पिता / पति का नाम	समिति में पद	जाति / वर्ग	मोबाइल नम्बर	आधार नम्बर	फोटो
6			सदस्य				
7			सदस्य				
8			सदस्य				
9			सदस्य				
10			सदस्य				
11			सदस्य				

सेवा में

श्रीमान् शाखा प्रबन्धक ____________________

विषय - प्रा०वि०/उ०प्रा०वि०/संविलियन वि०____________________ के संचालित विद्यालय प्रबन्ध समिति खाते में नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में |

महोदय !

निवेदन के साथ आप को अवगत कराना है कि आप की शाखा में प्रा०वि०/उ०प्रा०वि०/संविलियन वि०____________________ विकास क्षेत्र ____________

जनपद ____________ विद्यालय का यू- डायस कोड ____________ में

विद्यालय प्रबन्ध समिति खाता संख्या - ____________________

संयुक्त रूप से प्र०अ०/इ०प्र०अ० श्री/श्रीमती -____________________ तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति श्री/श्रीमती - ____________________ के द्वारा संचालित है |

अब उक्त खाते का संचालन प्र०अ०/इ०प्र०अ० श्री/श्रीमती - ____________________ तथा

अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति श्री/श्रीमती - ____________________के द्वारा किया जाना है

अतः उक्त खाते का स्थानान्तरण प्र०अ०/इ०प्र०अ० श्री/श्रीमती -____________________ तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति श्री/श्रीमती - ____________________ के नाम से संयुक्त रूप से करने की कृपा करें |

दिनांकः ____________

हस्ताक्षर
प्र०अ०/इ०प्र०अ०

नाम ____________

मोबाइल नम्बर____________

मानव सम्पदा कोड -____________

खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति

प्रारूप

पत्रांक: SMC/PFMS/Modified Procedure/ /2024-25/ दिनांक, 2024

विद्यालय का नाम: ....

विद्यालय की श्रेणी: (PS/ UPS / COMPOSITE SCHOOL)...............................

विद्यालय का पता: ....

....

विद्यालय का UDISE CODE: ....

ब्लॉक का नाम: ....

जनपद का नाम: ....

पिनकोड (अनिवार्य): ....

पासपोर्ट साइज़ फोटो	पासपोर्ट साइज़ फोटो
प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति
नमूना हस्ताक्षर (मुहर सहित)	नमूना हस्ताक्षर (मुहर सहित)
नाम....................................	नाम....................................
पदनाम................................	पदनाम................................

राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक .... दिनांक........... के क्रम में विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) का बैंक खाता Zero Balance Subsidiary Account (ZBSA) खोलने हेतु प्रधानाध्यापक तथा अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति के उक्त हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया जाता है।

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

खण्ड शिक्षा अधिकारी

एस०एम०सी० प्रशिक्षण के उपभोग का विवरण वित्तीय वर्ष -2024-25

विद्यालय का नाम ………………………………………… विद्यालय का कोड …………………

भुगतान की तिथि …………………… पेमेंट ऐडवाइज नंबर ……………………

विभागीय आदेश -पत्रांक संख्या सामु0सह0/SMC Trg /10851/2024-25 दिनांकः 07/03/2025 के क्रम में

शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रदेश में समस्त परिषदीय विद्यालयों की विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सदस्यों को विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षित किया जाना है । प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक (सदस्य सचिव, एस०एम०सी०) अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एस०एम०सी० को विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षित किया जायेगा। विकास खण्ड स्तर प्रशिक्षित संदर्भदाता द्वारा विद्यालय स्तर पर समस्त विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सदस्यों को उनके कर्तव्यों दायित्वों, सामुदायिक एवं अभिभावकों की सहभागिता, पॉजिटिव पैरेंटिंग तथा समग्र शिक्षा द्वारा संचालित वि‍ि कार्यक्रमों में उनकी भूमिका आदि विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, जिसका प्रशिक्षण कार्ययोज निम्नवत् है:-कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के एस०एम०सी० सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु कॉलम संख्या 12 में निर्धारित धनराशि रू0 1100/- की अधिकतम दर से समस्त प्रतिभागियों के भोजन / जलपान एवं स्टेशनरी हेतु अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है, प्रशिक्षण हेतु निर्धारित समय सीमा 25 मार्च 2025 है, जिसकी लिमिट राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा सीधे के०जी०बी०वी० के खाते में जारी की जा रही है।

कार्यक्रम का आयोजन -

• बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु कुर्सियाँ आदि की व्यवस्था विद्यालय स्तर से सुनिश्चित की गई ।
बैठक में विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई ।
• बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों का नाम, पता एवं मोबाइल नं० बैठक पंजिका में अंकित किया गया ।
• बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार (Two way communication) अर्थात् अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया गया

बैठक कार्यवृत्त -

महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश के क्रम में आज दिनांक - 22/03/2025 दिन- शनिवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री/श्रीमती ……………………… की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति के प्रशिक्षण के समबन्ध में बैठक आहूत की गयी | नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है | आज की बैठक में एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में प्रशिक्षण के समबन्ध में जनपहल प्रशिक्षण माड्यूल एस एम सी पर आधारित प्रशिक्षण एवं पी टी एम की बैठकों के सम्बन्ध में आवश्यक बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी |

वर्ष 2024-25 के लिए एस०एम०सी० प्रशिक्षण के उपभोग की ग्रान्ट जो S.M.C. ACCOUNT ……………………… में P.F.M.S. पोर्टल के माध्यम से कंपोनेंट कोड - F.01.10 Training of SMC/SMDC(Elementary)UP के तहत 1100 रूपये की धनराशि प्राप्त हुई है पर्सनल वैंडर/फर्म ……………………… में धनराशि ट्रान्सफर करने के उपरांत उपभोग का विवरण निम्नानुसार है | FOR SAMPLES

क्रमांक	क्रय की गई सामग्री का विवरण RAJKUMAR AURAIYA	तादात	दर	कुल योग	क्रमागत योग
1	कोल्डड्रिंकस	5	95	475	475
2	समोसा	50	8	400	875
3	नमकीन	1	75	75	950
4	गिलास पैकेट	1	40	40	990
5	दोना पैकेट	1	30	30	1020
6	स्टेशनरी पर व्यय पेन	2	10	20	1040
7	चार्ट पेपर	4	5	20	1060
8	मार्कर	2	20	40	1100
कुल योग (अंकों में) - 1100		कुल योग (शब्दों में) - एक हजार एक सौ रूपये मात्र			

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/सचिव

हस्ताक्षर
अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति

नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति गठन वर्ष 2024-26

बेसिक शिक्षा अनुभाग- 5, लखनऊ: दिनांक: 14 नवम्बर, 2024 विषयः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों मे प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने का प्राविधान है, जिसका कार्यकाल गठन के दिन से प्रारम्भ होकर दो वर्षों के लिए होता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 2566 / 68-5- 2022-29 / 2009 टी.सी., दिनांक: 15 नवम्बर, 2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश के द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनांक : 30 नवम्बर, 2024 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालय में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों के पुर्नगठन का कार्य दिनांक: 01 नवम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक की अवधि में कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांक: 01 दिसम्बर, 2024 से क्रियाशील हो सके। उक्त के दृष्टिगत नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों का गठन किये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है :- (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन-

विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। इस हेतु समिति का कार्यकाल 23 माह पूर्ण होने के साथ ही नयी विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाए एवं 24वाँ माह समाप्त होने के पूर्व ही नवीन समिति का गठन कर लिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- आम चुनाव, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में यदि 24 वें माह में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में स्थितियाँ सामान्य होते ही यथाशीघ्र विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन करा लिया जाए एवं नवीन समिति के गठन तक पूर्व की समिति कार्य करती रहेगी।

ii. एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालय में एक ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा ।

1iv. विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होंगे जिनमें से 11 सदस्य अध्ययनरत् बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक होंगे परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी।

- शैक्षिक सत्र 2024 में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 30 नवम्बर 2024 को समाप्त हो रहा है |
- नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन 01 नवम्बर 2024 से 30 नवम्बर 2024 तक कराया जाना है |
- कम्पोजिट वि विद्यालयों में एक ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा |
- विद्यालय प्रबन्ध समिति में कुल 15 सदस्य होंगे जिनमें 11 अध्ययरत बच्चों के माता ,पिता /अभिभावक होंगे |
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 4 सदस्यों में से एक सदस्य ग्राम पंचायत /वार्ड सदस्य दूसरा सदस्य ए0एन0एम0 तीसरा सदस्य पंचायत में नियुक्त लेखपाल और चौथा सदस्य उस विद्यालय में नियक्त प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक में से चयनित किया जायेगा |
- अभिभावक सदस्यों में से एक एक सदस्य SC,ST,OBC तथा कमजोर वर्ग के माता पिता अथवा संरक्षक होगे |
- विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन खुली बैठक में किया जायेगा |
- विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से एक महिला और एक पुरुष का चयन किया जायेगा जो कि बच्चो के माता पिता /अभिभावक में से होंगे |
- शिक्षामित्र ,रसोइया या विभाग में कार्यरत किसी को भी सदस्य नहीं बनाया जायेगा सदस्य सचिव को छोड़कर |
- नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति 1 दिसम्बर 2024 से क्रियाशील होगी |
- विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 24 माह के लिए होता है |
- नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण एक सप्ताह के अन्दर विद्यालय की दीवार पर पेंट करा दिया जाये |
- विद्यालय में नामांकित कुल बच्चों की संख्या के कम से कम 50% माता ,पिता /अभिभावकों की उपस्थिति बैठक में अनिवार्य होगी
- नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की तिथि ब्लाक स्तर से तय की जाएगी जो विकास खण्ड के नोडल अधिकारी की उपस्थिति में गठन किया जायेगा |
- RAJKUMAR AURAIYA

नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन का मुनादी एजेन्डा वर्ष-2024-26

विद्यालय का नाम - .... यू डायस कोड - ....

प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय / कम्पोजिट, विद्यालय ....
ग्राम पंचायत -.. न्याय पंचायत - ....

विकास खण्ड - .... जनपद - ....

सेवा में ,

सम्मानित सभी बच्चों के माता , पिता व अभिभावकों को सादर अवगत कराना है कि दिनांक - .... को पूर्वान्ह / अपरान्ह........................बजे विद्यालय के प्रांगण में

वर्ष-2024-26 हेतु शासनादेश के क्रम में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की एक खुली बैठक आहूत की जानी है |

अतः आप सम्मानित सभी बच्चों के माता, पिता व अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया ससमय बैठक में उपस्थित होकर समिति के गठन में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करे |

दिनांक........................

हस्ताक्षर -
प्रधानाध्यापक

हस्ताक्षर -
माता, पिता व अभिभावक

हस्ताक्षर -
माता, पिता व अभिभावक

RAJKUMAR AURAIYA

विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक कार्यवाही

विद्यालय का नाम - .... यूडायस कोड ....

आज दिनांक .... पूर्वान्ह /अपरान्ह ....बजे प्राथमिक / उच्च प्राथमिक /संविलियन विद्यालय ....न्याय पंचायत.................................. .

विकास खण्ड .... जनपद - ....

श्रीमान् जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश संख्या -...

के क्रम में पूर्व निर्धारित एजेण्डे के अनुसार विद्यालय के प्रांगण में सचिव /प्र0अ0 के द्वारा एक खुली बैठक सभी सम्मानित बच्चों के माता , पिता व अभिभावकों की उपस्थिति में विकास खण्ड के नोडल अधिकारी के निर्देशन में आहूत की गयी |

बैठक का कोरम पूर्ण बैठक में सचिव द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन हेतु पढ़कर सुनाया गया तत्पश्चत शासनादेश के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों का चुनाव अभिभावकों की आम सहमति से निम्नानुसार सदस्यों का चयन किया गया है |

समिति के सदस्यों ने विस्तृत रूप से चर्चा परिचर्चा के उपरांत श्री/श्रीमती - .... ने अध्यक्ष पद हेतु श्री/श्रीमती - .... के नाम का समर्थन किया | बैठक में उपस्थित समस्त लोगों ने अध्यक्ष पद के लिया आम सहमति व्यक्त की | इसके उपरांत अभिभावक श्री/श्रीमती - .... ने उपाध्यक्ष पद हेतु श्री/श्रीमती - .... को नामित किया तथा बैठक में उपस्थित समस्त लोगों ने श्री/श्रीमती - .... के उपाध्यक्ष पद का समर्थन किया |स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य श्री/श्रीमती - .... का चयन किया गया |

इसके उपरांत श्रीमान जिलाधिकारी/विभाग द्वारा नियुक विकास खण्ड के नोडल अधिकारी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चयन के उपरांत अन्य सदस्यों का भी चयन क्रमशः किया गया | जिनमे 50% महिला और 50% पुरुष सदस्यों का चयन किया गया |

इन सभी सदस्यों के नाम में आम सहमति व्यक्त की गयी

अंत में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रधानाध्यापक अपने स्तर से कार्य प्रारम्भ कराएँ तथा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर आज की बैठक सम्पन की गयी |

हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -	हस्ताक्षर -
अन्य सदस्य	प्रधानाध्यापक	नोडल अधिकारी

RAJKUMAR AURAIYA

विद्यालय **प्रबन्ध समिति के गठन के चयनोंपरान्त नाम**

विद्यालय **का नाम -** .... **यू डायस कोड**............................

आज दिनांक .... **पूर्वान्ह /अपरान्ह** .... **बजे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/संविलियन** विद्यालय .... **न्याय पंचायत** .... **विकास खण्ड -** .... **जनपद -** .... **के प्रांगण में पूर्व निर्धारित एजेण्डे के अनुसार सम्मानित सभी बच्चों के माता, पिता व अभिभावकों की उपस्थिति में आम सहमति के उपरान्त शासनादेश के क्रम में निम्नानुसार नवीन** विद्यालय **प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही के चयनोंपरान्त नाम इस प्रकार हैं |**

1- अध्यक्ष (अभिभावक) श्री/श्रीमती -..

2- उपाध्यक्ष (अभिभावक) श्री/श्रीमती -..

3- सदस्य-स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामित सदस्य श्री/श्रीमती - ....

4- सदस्य- (ए0एन0एम) श्रीमती -..

5- सदस्य- (लेखपाल) श्री/श्रीमती - ....

6- सदस्य- सदस्य सचिव (प्र0अ0/ प्रभारी प्र0अ0 श्री/श्रीमती -...

अभिभावक सदस्य –RAJKUMAR AURAIYA

7- श्री/श्रीमती ....

8 - श्री/श्रीमती ....

9 - श्री/श्रीमती ....

10 - श्री/श्रीमती ....

11- श्री/श्रीमती ....

12- श्री/ श्रीमती ....

13- श्री/श्रीमती..

14- श्री/श्रीमती ....

15- श्री/श्रीमती ....

विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन के चयनोंपरान्त समस्त सदस्यों के हस्तक्षर की तालिका वर्ष-2024-26

विद्यालय का नाम - .... एन०पी०आर०सी० - .... विकासखण्ड - ....

जनपद - .... विद्यालय का यूडायस कोड - .... चयन का दिनांक - ....

क्रम संख्या	सदस्य का नाम RAJKUMAR AURAIYA	पद	हस्ताक्षर	उम्र	लिंग	जाति	शैक्षिक योग्यता	मोबाइल नम्बर
1		अध्यक्ष(अभिभावक)						
2		उपाध्यक्ष(अभिभावक)						
3		सदस्य (ग्राम पंचायत)						
4		सदस्य (ए0एन0एम0)						
5		सदस्य (लेखपाल)						
6		सचिव /(प्रधानाध्यापक)						
7		सदस्य (अभिभावक)						
8		सदस्य (अभिभावक)						
9		सदस्य (अभिभावक)						
10		सदस्य (अभिभावक)						
11		सदस्य (अभिभावक)						
12		सदस्य (अभिभावक)						
13		सदस्य (अभिभावक)						
14		सदस्य (अभिभावक)						
15		सदस्य (अभिभावक)						

हस्ताक्षर-सचिव/प्र0अ0

हस्ताक्षर- नोडल अधिकारी

विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन का विवरण वर्ष-2024-26

विद्यालय का नाम - .... **एन०पी०आर०सी० -** ....

विकास खण्ड - .... **जनपद -** .... **विद्यालय का यूडायस कोड -**..

क्रम संख्या -	सदस्य का नाम -	पिता/पति का नाम -	पद -	उम्र	लिंग -	जाति -	शैक्षिक योग्यता -	मोबाइल नम्बर -
1			अध्यक्ष(अभिभावक)					
2			उपाध्यक्ष(अभिभावक)					
3			सदस्य (ग्राम पंचायत)					
4			सदस्य (ए0एन0एम0)					
5			सदस्य (लेखपाल)					
6			सचिव /(प्रधानाध्यापक)					
7			सदस्य (अभिभावक)					
8			सदस्य (अभिभावक)					
9			सदस्य (अभिभावक)					
10			सदस्य (अभिभावक)					
11			सदस्य (अभिभावक)					
12			सदस्य (अभिभावक)					
13			सदस्य (अभिभावक)					
14			सदस्य (अभिभावक)					
15			सदस्य (अभिभावक)					

हस्ताक्षर-प्र0अ0

हस्ताक्षर- S.M.C. अध्यक्ष

विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाता में नाम परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र

सेवा

में श्री मान शाखा प्रबन्धक महोदय ……………………………………………………………

विषय -प्रा०वि०/उच्च०प्रा०वि०/संविलियन वि० ……………………………………………………

के संचालित विद्यालय प्रबन्ध समिति खाता में नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में |

महोदय !

निवेदन के साथ आप को अवगत कराना है कि आप की बैंक में प्रा०वि०/उच्च०प्रा०वि०/संविलियन वि० ……………………………………………………का विद्यालय प्रबन्ध समिति खाता संख्या-…………………………………………… संयुक्त रूप से प्रधानाध्यापक श्री…………………………………………… तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति श्री-…………………………………… के द्वारा संचालित है

अब उक्त खाते का संचालन प्रधानाध्यापक श्री-…………………………………………… तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध श्री-…………………………………………………………… के द्वारा किया जाना है

अतः उक्त खाते का स्थानातरण प्रधानाध्यापक श्री. ………………………………………… तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध श्री ……………………………………………………………के नाम से संयुक्त रूप से करने की कृपा करें ।

दिनाकं ………………………

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक

प्रधानाध्यापक का नाम ……………………………

विकास क्षेत्र ………………………………………

जनपद -……………………………………

.

खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति

विद्यालय का यू डायस कोड ……………………………

मोबाइल न०……………………………………

संख्या- 34 /2024 /I/795922/2024-68-5099/462/2024

प्रेषक,

डा० एम० के० शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग- 5, लखनऊ: दिनांक: 14 नवम्बर, 2024

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों मे प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने का प्राविधान है, जिसका कार्यकाल गठन के दिन से प्रारम्भ होकर दो वर्षों के लिए होता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 2566 / 68-5-2022-29 / 2009 टी.सी., दिनांक: 15 नवम्बर, 2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेश के द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनांक : 30 नवम्बर, 2024 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालय में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों के पुर्नगठन का कार्य दिनांक: 01 नवम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक की अवधि में कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांक: 01 दिसम्बर, 2024 से क्रियाशील हो सके। उक्त के दृष्टिगत नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों का गठन किये जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन-

i. विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। इस हेतु समिति का कार्यकाल 23 माह पूर्ण होने के साथ ही नयी विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही आरम्भ कर दी जाए एवं 24वाँ माह समाप्त होने के पूर्व ही नवीन समिति का गठन कर लिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- आम चुनाव, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में यदि 24 वें माह में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में स्थितियाँ सामान्य होते ही यथाशीघ्र विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन करा लिया जाए एवं नवीन समिति के गठन तक पूर्व की समिति कार्य करती रहेगी।

ii. एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालय में एक ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।

iii. प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा।

iv. विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होंगे जिनमें से 11 सदस्य अध्ययनरत् बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक होंगे परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होगी।

v. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 04 सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात:-

(क) स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य, जिसका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा;

(ख) एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिडवाईफ (ए0एन0एम0) में से लिया जायेगा, जिसका विनिश्चय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल;

(घ) एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की तैनाती न होने की दशा में प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा, जो समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

vi. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अभिभावक सदस्यों में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के माता-पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे।

vii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अभिभावक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा, परन्तु सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा से बच्चों के एक माता-पिता / अभिभावक का चयन किया जायेगा तत्पश्चात् शेष सदस्यों का चयन होगा| आम सहमति न बनने की स्थिति में उन सदस्यों का चयन किया जायेगा, जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठा कर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान कराया जाएगा।

viii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के 11 अभिभावक सदस्यों के चयन में प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधित्व अनिवार्य है ।

ix. समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबन्धन हेतु माता-पिता / अभिभावक सदस्यों में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना अनिवार्य है ।

x. आम सभा की बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का हस्ताक्षर / अंगूठा निशान रिकार्ड के रूप में रखा जायेगा।

xi. शिक्षा मित्रों, रसोइयों को व शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों (विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त) को समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा ।

xii. विद्यालय प्रबन्ध समिति गठित होने के उपरान्त सदस्यों का पूर्ण विवरण, बच्चे का नाम, अभिभावक (माता /पिता /संरक्षक) का नाम, मोबाइल नं० रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा सदस्यों का विवरण एक सप्ताह के अन्दर विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग कराते हुए प्रदर्शित किया जाए। ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर समस्त एस०एम०सी० सदस्यों का डाटा बेस तैयार किया जाए।

xiii. विद्यालय में अध्ययनरत् बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता / संरक्षकों के उपस्थित होने की स्थिति में ही विद्यालय प्रबन्ध समिति का चयन किया जाये तथा कोरम (Quorum) को पूरा कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा ।

(2) <u>विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन हेतु प्रक्रिया-</u>

i. जिलाधिकारी जनपद के समस्त विकासखण्डों में स्थित विद्यालयों हेतु खुली बैठक की तिथियों का निर्धारण कर प्रत्येक विकासखण्ड के लिए पृथक-पृथक नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे, जो आवंटित विकास खण्ड के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन के लिए उत्तरदायी होंगे एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे।

ii. जनपद स्तर पर खुली बैठक की तिथि का चार्ट विद्यालयवार तैयार किया जायेगा तथा सम्बन्धित विकास खण्ड हेतु नामित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा|

iii. खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इस आशय की मुनादी कराया जाना सुनिश्चित किया जाये कि उनके विकासखण्ड में एस०एम०सी० का चुनाव अमुक तिथि को होगा।

iv. विकास खण्ड के नोडल अधिकारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने विकास खण्ड में स्थित विद्यालयों में खुली बैठक हेतु ब्लाक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालयवार ड्यूटी आवंटित की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगी तथा विद्यालयों को बैठक की तिथि एवं आवंटित अधिकारी का नाम ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।

v. विकास खण्ड स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार अलग-अलग तिथियों में न्याय पंचायतवार निर्वाचन भी कराया जा सकता है।

vi. विद्यालय हेतु नामित अधिकारी खुली बैठक में समिति का चयन होने तक स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करायेंगे। समिति की घोषणा के उपरान्त अपनी आख्या विकास खण्ड के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

vii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन से पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना, एस०एम०सी० के कर्तव्य एवं दायित्वों की जानकारी आदि अधिक प्रचार-प्रसार वाले मुख्य समाचार-पत्रों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति के रुप में प्रकाशित करायी जाय। इसके अतिरिक्त गांव / मजरे में मुनादी कराकर एवं पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से समुदाय में पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराया जाये।

viii. खुली बैठक ग्राम प्रधान अथवा प्रधान द्वारा नामित ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेम्बर, नगर /जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित नगर / जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में करायी जाये तथा इस हेतु बैठक की तिथि प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति / वार्ड शिक्षा समिति को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाये।

ix. प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत् प्रत्येक छात्र-छात्रा के माता- पिता अथवा अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एस०एम०सी० की खुली बैठक की तिथि के बारे में सूचित करें।

X. एस०एम०सी० के गठन में राज्य, जनपद एवं ब्लाक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्रचार-प्रसार समुदाय को प्रेरित करने में किया जा सकता है।

xi. निर्धारित दिवस में विद्यालय प्रबन्ध समितियों के गठन की पूर्ण कार्यवाही विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक सम्बन्धी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाये।

(3) <u>सदस्यता की समाप्ति-</u>

विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों / पदाधिकारियों की सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त हो जाएगी-

1. एस०एम०सी० पदाधिकारी /सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में,

ii. एस०एम०सी० पदाधिकारी / सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा पाये जाने की स्थिति में,

iii. किसी काम-काज, नौकरी पेशा एवं किसी अन्य कारण से अन्य जनपद / राज्य में पलायन करने की दशा में आदि।

(4) <u>विद्यालय प्रबन्ध समिति के रिक्त पदों (11 अभिभावक सदस्यों के कोटा) को पूर्ण करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की गयी है</u>:-

i. विद्यालय प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी / सदस्य के पद रिक्त होने की दशा में बच्चों के माता-पिता / अभिभावकों की खुली बैठक बुलाकर आम सहमति से सदस्य का चुनाव किया जाये, तदनुसार खाता संचालन में यथावश्यकता संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि बैठक में 50 प्रतिशत अभिभावकों का कोरम पूरा होना अनिवार्य है।

ii. पदाधिकारी / सदस्यों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया को एस०एम०सी० बैठक रजिस्टर में अवश्य दर्ज किया जाये|

iii. बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों से एस०एम०सी० बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर कराये जाये।

iv. नयी विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

v. सदस्यों अथवा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के नाम में बदलाव की सूचना एस०एम०सी० के सचिव द्वारा लिखित रूप से बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के साथ खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये ।

(5) विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य एवं दायित्व-

i. विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी, जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य-समूहों का गठन कर सकती है।

ii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा बच्चों के अधिकार एवं माता-पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार के कर्त्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आबादी को अवगत कराया जाए।

iii. निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत बुनियादी साक्षरता एवं गणना के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता (Community & Parental Engagement) सुनिश्चित की जाए ।

iv. विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समयनिष्ठा बनाये रखें, संरक्षकों एवं माता-पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बच्चों की निरन्तर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गयी प्रगति और अन्य कोई प्रासंगिक सूचना के बारे में अभिभावकों को अवगत करायेंगे और यह भी कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त न पाया जाए।

V. विद्यालय में आस-पास के सभी बच्चों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चत की जाए ।

vi. विद्यालय के आधारभूत संरचना एवं मानकों का रखरखाव व अनुश्रवण किया जाए।

vii. बच्चों के अधिकारों के किसी भी हनन से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार और निःशुल्क हकदारियों के समयान्तर्गत उपलब्ध न होने आदि को स्थानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए।

viii. यदि किसी बालक की आयु छः वर्ष से अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वहाँ उसके आयु-संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिह्नांकन एवं नामांकन योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वियन का अनुश्रवण करना।

ix. दिव्यांग बच्चों का चिह्नांकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सहभागिता और सुविधाओं को सुनिश्चित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने का अनुश्रवण करना ।

x. विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

xi. विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना ।

xii. विद्यालय प्रबन्ध समिति को अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसको पृथक लेखा में रखा जायेगा एवं उक्त लेखा वार्षिक संपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा ।

xiii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त लेखों पर हस्ताक्षर किये जायेगें और उनके तैयार होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(6) विद्यालय विकास योजना-

i. विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यह विकास योजना तीन वर्षीय होगी। इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग उपयोजना भी बनायी जायेगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना का निर्माण भी होगा। इस विकास योजना में प्रत्येक वर्ष के लिये कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन (इस्टीमेट) किया जायेगा और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उसी के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय / कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु कक्षा 6 से 8 एवं कम्पोजिट विद्यालयों हेतु कक्षा 1 से 8 तक आर०टी०ई० मानकों के आधार पर अतिरिक्त अध्यापक/ प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता का आकलन भी किया जायेगा। इसके साथ अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपस्कर आदि की भौतिक आवश्यकताओं का भी प्राक्कलन कर तीन वर्षीय योजना में समावेश किया जायेगा।

ii. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकतायें यथा आयु-संगत कक्षा में प्रविष्ट बच्चों को विशेष प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वित्तीय आवश्यकताओं के आकलन का इस योजना में समावेश किया जायेगा ।

iii. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा यह विकास योजना हस्ताक्षरित की जायेगी और खण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित प्राधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएगी।

(7) <u>विद्यालय प्रबन्ध समिति हेतु वित्तीय व्यवस्था-</u>

i. विद्यालय प्रबन्ध समिति का बैंक खाता Zero Balance Subsidiary Account (ZBSA) के अन्तर्गत खोला जायेगा तथा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव (प्रधानाध्यापक) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना खाते को किसी अन्य बैंक के बचत खाते में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा अथवा नया खाता खोलने की कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

ii. विद्यालय के खाते का विधिवत् रख-रखाव तथा अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा और ऑडिट के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराया जाना होगा।

iii. बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथा आवश्यकता निर्माण कार्यों की जांच एक टीम, जिसमें दो विभागों के अभियन्ता तथा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के द्वारा जांच कराने की कार्यवाही की जायेगी । गम्भीर शिकायतों के प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी जांच कराने का विकल्प होगा ।

iv. समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु धनराशि की सीमा (लिमिट) विद्यालय प्रबन्ध समिति के ZBSA के खाते में जारी की जाएगी, जिसका व्यय SNA की नई व्यवस्था के अन्तर्गत PFMS पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा । विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से निम्नांकित कार्य सम्पादित/ क्रियान्वित किए जाएंगे:-

(क) विद्यालयों में समस्त प्रकार के निर्माण कार्य जैसे- विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, चहारदीवारी, शौचालय, ओवरहेड टैंक, मरम्मत एवं रखरखाव आदि ।

(ख) कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट एवं शिक्षक अनुदान |

(ग) विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी हेतु डी०बी०टी० के माध्यम से माता /पिता / अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में प्रेषित धनराशि का उपयोग यूनीफार्म आदि क्रय करने में ही हो, इस कार्य हेतु सहयोग प्रदान करना ।

(घ) उक्त प्रकृति के कोई अन्य कार्य जो राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत हों एवं जारी निर्देशों से आच्छादित हों ।

(ङ) विद्यालय निर्माण कार्यों के दायित्व से विद्यालय के प्रधानाध्यापक / अध्यापकों को मुक्त रखा जायेगा |

(8) <u>विद्यालय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् की जाएगी-</u>

i. विद्यालय सम्बन्धी समस्त निर्माण कार्य के कार्यान्वियन हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से 04 सदस्यों की उपसमिति गठित की जाएगी, जो निम्नवत् है:--

(क) विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) विद्यालय प्रबन्ध समिति के 02 अभिभावक सदस्य,

(ग) विद्यालय प्रबन्ध समिति में समिति द्वारा नामित पदेन शासकीय सेवक, जो विद्यालय प्रबन्ध समति का सदस्य हो, (शिक्षकों से भिन्न) ।

ii. किसी भी विवाद की स्थिति में पदेन शासकीय सेवक के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

iii. उक्त समिति के 02 अभिभावक सदस्यों का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में बहुमत के आधार पर किया जायेगा। उप समिति के चयनित समस्त सदस्यों का विवरण एवं मोबाइल नं० आदि प्रधानाध्यापक द्वारा अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाएगा।

iv. विद्यालय निर्माण हेतु गठित उक्त उप समिति के न्यूनतम 03 सदस्यों द्वारा विद्यालय निर्माण सामग्री का क्रय किया जायेगा। क्रय की गयी सामग्री का विवरण प्रधानाध्यापक द्वारा साइट पंजिका में अंकित किया जायेगा ।

v. निर्माण कार्य एवं अन्य उपरोक्त वर्णित कार्य समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत डिज़ाइन एवं मैन्युअल तथा स्वीकृत इकाई लागत के अनुसार कराया जायेगा।

vi. निर्माण सामग्री की गुणवत्ता 03 सदस्यों द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जिसमें से एक सदस्य पदेन शासकीय सेवक होगा।

vii. प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में विद्यालय प्रबन्ध समिति तथा निर्माण हेतु गठित उप समिति के अभिभावक सदस्यों को अद्यतन किया जायेगा और तदनुसार खाता संचालन में यथावश्यकता, संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

viii. समस्त निर्माण कार्यो को सम्पत्ति रजिस्टर (Asset Register) में तथा क्रय की गयी वस्तुओं को स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा ।

ix. समस्त निर्माण कार्यों के आय-व्यय का रख-रखाव प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा एवं समस्त कार्यों की अलग-अलग पत्रावलियाँ बनायी जायेगी। साइट पंजिका, सम्पत्ति रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर आदि समस्त अभिलेखों को प्रधानाध्यापक द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा ।

X. बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

xi. विद्यालय निर्माण कार्यों एवं अन्य समस्त कार्यों के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के उपरान्त क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य - सचिव (प्रधानाध्यापक) अधिकृत होंगे।

(9) उल्लेखनीय है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल दिनांक: 30 नवम्बर, 2024 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालयों में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों के गठन का कार्य दिनांक : 01 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2024 तक किया जाना है, जिससे नव गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति दिनांक : 01 दिसम्बर, 2024 से क्रियाशील हो सके।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णयों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से हो सके।

भवदीय,
डा० एम० के० शन्मुगा सुन्दरम्
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनाँक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ०प्र० ।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ ।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र० ।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
7. शिक्षा विशेषज्ञ एवं एस०बी०सी० अधिकारी, यूनीसेफ, उत्तर प्रदेश ।
8. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज ।
9. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ०प्र० ।
10. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ०प्र० ।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र० ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।